



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102021-230263
CG-DL-E-08102021-230263

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3811]
No. 3811]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 8, 2021/आश्विन 16, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4146(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

(1) इस आदेश का नाम विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश, 2021 है।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमाएं और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2016 में खंड 3 में, उप-खंड (2) में मद (iii) में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“(iii) 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए सभी खाद्य तेलों और तिलहन को एक साथ रखा जाएगा। स्टॉक सीमा का निर्धारण संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित अपवादों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के उपलब्ध स्टॉक और उपभोग के तरीके के आधार पर किया जाएगा:

(क) कोई निर्यातक, जो रिफाइनर, मिलर, एक्सट्रैक्टर, थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता या डीलर है, जिसके पास विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी आयातक-निर्यातक कोड संख्या है, यदि ऐसा निर्यातक यह दर्शाने में सक्षम है कि खाद्य तेल और खाद्य तिलहन के संबंध में उसका पूरा स्टॉक या उसका कुछ हिस्सा निर्यात के आशय से स्टॉक की सीमा में है।

(ख) कोई आयातक, जो रिफाइनर, मिलर, एक्सट्रैक्टर, थोक व्यापारी या खुदरा विक्रेता या डीलर है, यदि ऐसा आयातक यह दर्शाने में सक्षम है कि खाद्य तेल और खाद्य तिलहन के संबंध में उसके स्टॉक का कुछ हिस्सा आयात से प्राप्त है।

3. यदि संबंधित विधिक इकाइयों द्वारा धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक हैं, तो उनके द्वारा इसकी घोषणा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (<https://evegoils.nic.in>) पर की जाएगी और ऐसी अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उस राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र प्रशासन, जहां वह अपना कारोबार संचालित कर रहा है, के निर्णयानुसार उक्त प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाई जाएगी।

4. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाद्य तेल और खाद्य तिलहन के स्टॉक की घोषणा नियमित रूप से की जाए और इसे इस विभाग के पोर्टल अर्थात् खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (<https://evegoils.nic.in>) के पोर्टल पर अद्यतित किया जाए।

[फा. सं. 06/02/2017-तेल]

पार्थ एस. दास, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 929(अ) दिनांक 29 सितंबर, 2016 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और इसके बाद संख्या का.आ. 3341(अ), दिनांक 27 अक्तूबर, 2016, का.आ. 1288(अ) दिनांक 25 अप्रैल, 2017, का.आ. 1600(अ) दिनांक 17 मई, 2017, का.आ. 2785(अ) दिनांक 25 अगस्त, 2017, का.आ. 3136(अ) दिनांक 27 सितंबर, 2017, का.आ. 3397(अ) दिनांक 23 अक्तूबर, 2017, का.आ. 3422(अ) दिनांक 25 अक्तूबर, 2017, का.आ. 4079(अ) दिनांक 27 दिसंबर, 2017, का.आ. 2414(अ) दिनांक 13 जून, 2018, का.आ. 2826(अ) दिनांक 6 अगस्त, 2019, का.आ. 3540(अ) दिनांक 29 सितंबर, 2019, का.आ. 4298(अ) दिनांक 28 नवंबर, 2019, का.आ. 4341(अ), दिनांक 3 दिसंबर, 2019, का.आ. 4417(अ), दिनांक 10 दिसंबर, 2019, का.आ. 4471(अ), दिनांक 16 दिसंबर, 2019, का.आ. 901(अ) दिनांक 27 फरवरी, 2020, का.आ. 3776(अ), दिनांक 23 अक्तूबर, 2020, का.आ. 2674(अ) दिनांक 2 जुलाई, 2021 और का.आ. 2871(अ) दिनांक 19 जुलाई 2021 के द्वारा संशोधन किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food & Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 8th October 2021

S.O. 4146(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order 2016, namely :-

1. Short Title and Commencement –

(1) This order may be called the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2021.

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. In the Removal of Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions on Specified Foodstuffs Order, 2016, in clause 3, in sub-clause(2), item (iii) shall be inserted namely:-

“(iii) All Edible Oils and oilseeds put together for a period upto 31st March, 2022. The stock limit will be decided by the respective States/Union Territories on the basis of available stock and consumption pattern of the State/Union Territory with the following exceptions:

(a) an exporter, being a refiner, miller, extractor, wholesaler or retailer or dealer, having Importer-Exporter Code Number issued by the Director General of Foreign Trade, if such exporter is able to demonstrate that the whole or part of his stock in respect of edible oils and edible oilseeds are meant for exports, to the extent of the stock meant for export.

(b) an importer, being a refiner, miller, extractor, wholesaler or retailer or dealer, if such importer is able to demonstrate that part of his stock in respect of edible oils and edible oilseeds are sourced from imports.

3. In case, the stocks held by respective legal entities are higher than the prescribed limits then they shall declare the same on the portal (<https://evegoils.nic.in>) of Department of Food & Public Distribution and bring it to the prescribed stock limits as decided by the State/UT administration where it is conducting its business within 30 days of the issue of such notification by the said authorities.

4. It shall be ensured that Edible Oils and Edible Oilseeds stock is regularly declared and updated on the portal of this Department i.e. Department of Food & Public Distribution (<https://evegoils.nic.in>).

[F. No. 06/02/2017-Oils]

PARTHA S. DAS, Jt. Secy.

Note : The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 929(E), dated the 29th September, 2016 and was subsequently amended vide numbers S.O. 3341(E), dated the 27th October, 2016, S.O. 1288(E), dated the 25th April, 2017, S.O. 1600(E), dated the 17th May, 2017, S.O. 2785(E) dated the 25th August, 2017, S.O. 3136(E), dated the 27th September, 2017, S.O. 3397(E), dated the 23rd October, 2017, S.O. 3422(E), dated the 25th October, 2017, S.O. 4079(E), dated the 27th December, 2017 and S.O. 2414(E) dated the 13th June, 2018, S.O. 2826(E), dated the 6th August, 2019, S.O. 3540(E), dated the 29th September, 2019, S.O. 4298(E), dated the 28th November, 2019, S.O. 4341(E), dated the 3rd December, 2019, S.O. 4417(E), dated the 10th December, 2019, S.O. 4471(E), dated the 16th December, 2019, S.O. 901(E), dated the 27th February, 2020 and S.O. 3776(E), dated the 23rd October, 2020, S.O.2674(E) dated 2nd July 2021 & S.O. 2871(E) dated 19th July 2021.